38

उत्तरांचल शासन
आवास एवं शहरी विकास विभाग,
देहरादून।

संख्या- 358 /आ0 /श0वि0-2003/रुद्रपुर /2003 देहरादूनः दिनांक- नवम्बर,2003

अधिसूचना

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम) 1958, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, विनियमित क्षेत्र, रुद्रपुर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या- 1098/ 9-आ-3-92-50 एच/ 57 दिनांक 16 जून 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

शासकीय अधिसूचना संख्या 1098/ 9-आ-3-92-50 एच/ 57 दिनांक 16 जून 1992 में उल्लिखित विनियमित क्षेत्र रुद्रपुर में सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टियॉं पठित होंगी।

विनियमित क्षेत्र, रुद्रपुर

जिला उधम सिंह नगर, तहसील रुद्रपुर में सम्मिलित निम्नलिखित नगर एवं राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत, नौ सेना, थल सेना व वायु सेना के प्रयोजन में तथा रक्षा उद्देश्यों के लिए केन्द्र सरकार के स्वामित्व, अधिग्रहित एवं पट्टे पर ली गई भूमि तथा छावनी क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र रुद्रपुर घोषित करते हैं।

1- जिला उधम सिंह नगर में नगरपालिका परिषद, रुद्रपुर की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

2- जिला उधम सिंह नगर में तहसील रुद्रपुर के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

1. लमरा
2. भूड़ारानी
3. फजलपुर महरोला
4. रमपुरा
5. जगतपुर
6. रुद्रपुर
7. विगवाड़ा
8. शिमला बहादुरपुर
9. कल्याणपुर

आज्ञा से,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।